फर्द अहकाम

जगदीश बनाम [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
पखण्ड, चाकसू (जयपुर)
/2023

आज्ञा या र्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षगणान उपस्थित। राजीनामे पर बहस उभयपक्षों की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 8/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	
5/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। राजीनामे पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दावा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदे. निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। कि डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू	

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (आरएएस)

वाद संख्या :– 97/2023 निर्णय दिनांक :– 8 .04.2024

उनवान

1. जगदीश पुत्र नारायण
2. कैलाश पुत्र नारायण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराबासगोनेर तहसील चाकसू जिला जयपुर

––वादीगण

बनाम

1. बंशी पुत्र नारायण
2. सीताराम पुत्र नारायण

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रामपुराबासगोनेर तहसील चाकसू जिला जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामपुराबासगोनेर पटवार हल्का बाडापदमपुरा भू. अभि. नि. क्षेत्र शिवदासपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर के अन्तर्गत आराजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 364 रकबा 1.57 है0, 366 रकबा 3.30 है0, 365 रकबा 0.10 है0 की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता नारायण पुत्र भूरा जाट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। वादीगण के पिता नारायण का स्वर्गवास होने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वादग्रस्त भूमि उनके हिस्से अनुसार विरासत से प्राप्त हुई। जिसका वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के द्वारा दिनांक 21.06.2015 को आपसी सहमति से तकासमा कर लिया गया। जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से खसरा नंबर 365 रकबा 0.10 है0 गै० मु० रास्ता की भूमि सामलाती रखी गई तथा खसरा नंबर 364 रकबा 0.39 है० एवं 366/4 रकबा 0.09 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है० वादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नंबर 364/1 रकबा 0.39 है0, 366/3 रकबा 0.32 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.71 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नंबर 364/2 रकबा 0.79 है०, एवं 366/1 रकबा 0.79 है०

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

jagdish vs bansi.docx

कुल किता 2 कुल रकबा 1.58 है० वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम सम्मिलित रूप से रख दी गई। जो कि वर्तमान मे दर्ज राजस्व रिकार्ड चली आ रही है। उक्त सहमति से किये गये तकासमे मे वादीगण की नक्शे एवं जमाबन्दी के बाबत नासमझी एवं अज्ञानता के चलते उक्त सहमति से किये गये तकासमे मे वादग्रस्त भूमि गलत रूप से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लग गई। जिसका की वादीगण को पता नही चला। कुछ समय पूर्व दिनांक 11.01.2023 को जमाबन्दी की नकले लेकर दिनांक 24.01.2023 को वादीगण ने अपनी जमीन नपवाने के लिये तहसील कार्यालय मे सम्पर्क किया तो पता चला कि खसरा नंबर 364 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 364/2 रकबा 0.79 है०, खसरा नंबर 365 रकबा 0.10 है0 व खसरा नंबर 366/1 मे से 0.30 है0, खसरा नंबर 365 से लगती हुई भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम तथा खसरा नंबर 364/1 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.49 है०, खसरा नंबर 366/3 रकबा 0.32 है०, खसरा नंबर 366/4 रकबा 0.09 है० की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होकर उसी अनुसार रंग भरना चाहिये था परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त कानूनी पेचीदगी एवं रंग भरवाने मे भ्रमित होने के कारण से नक्शे मे गलत रंग भर दिया गया। जिससे की उक्त खातेदारी भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुख्ता कब्जे के विपरीत रंग भरा जाकर खातेदारी लग गई। जिसको वादीगण दुरूस्त करवाकर उसी अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण का खसरा नंबर 364 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 364/2 रकबा 0.79 है०, खसरा नंबर 365 रकबा 0.10 है0 व खसरा नंबर 366/1 मे से 0.30 है० जो कि खसरा नंबर 365 से लगती हुई है। उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के द्वारा उक्त भूमि को अपनी खून पसीने की मेहनत से समतल एवं उपजाउ बनाया है। जिसका तकासमा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जे के अनुसार किया जाना न्यायसंगत है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की उक्त खातेदारी भूमिया रोड पर स्थित है। इस कारण से खसरा नंबर 365 की किस्म गै० मु० रास्ते से पूर्व की भांति बारानी दुरूस्त की जानी आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड मे हुई उक्त गलती का पता वादीगण को चलने पर वादीगण नियमित रूप सें प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने का निवेदन करते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा राजस्व रिकार्ड कों दुरूस्त करवाकर वादीगण की भूमि उनके नाम लगवाकर दुरूस्ती नही करवाया जा रहा है। इस बाबत वादीगण के द्वारा दिनांक 11.01.2023 व 08.02.2023 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 3 के यहा गये तो प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाने की कहकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करने से मना कर दिया। वादीगण अधिकारी है कि वादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि की जमाबन्दी

उपखण्ड अधि...
उपखण्ड, ...

...\jagdish vs bansi doc...

मे दुरूस्त कर खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.79 है० के टुकडे कर वादीगण के नाम खसरा नंबर 364 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 364/2 रकबा 0.79 है०, खसरा नंबर 365 रकबा 0.10 है० व खसरा नंबर 366/1 मे से 0.30 है0 खसरा नंबर 365 से लगती हुई का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे एवं खसरा नंबर 364/1 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 366/3 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 366/4 रकबा 0.09 है० की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगाई जावे। ऐसा किया जाने से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच मे विवाद का निस्तारण हो जायेगा तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमिया कम ज्यादा भी नही होगी। वादीगण को अधिकार है कि वे जरिये मान्य न्यायालय प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द फरमा देवे कि उपरोक्त खसरा नम्बर में उल्लेखित भूमि मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना करें, उपयोग उपभोग मे बाधा कारित ना करे एव ना ही उक्त भूमि का विक्रय एवं किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण ना तो स्वंय करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से ही करावें। दिनांक 11.01.2023, 24.01.2023 व 08.02.2023 को राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने व प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा दुरूस्त नही कर माननीय न्यायालय से आदेश लाने का कहने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 3 राज्य सरकार का विभाग हैं, जिसके विरूद्ध दावा बिना नोटिस दिये ही प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण धारा 80 (2) सी. पी.सी. का नोटिस दिये बिना ही दावा स्वीकार किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीगण का वाद बाबत घोषणा तकासमा व स्थाई प्रतिवादी आदेश के विरुद्ध हैं, वादग्रस्त आराजियात की वादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी भूमि की जमाबन्दी मे दुरूस्त कर खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.79 है० के टुकडे कर वादीगण के नाम खसरा नंबर 364 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 364/2 रकबा 0.79 है०, खसरा नंबर 365 रकबा 0.10 है० व खसरा नंबर 366/1 मे से 0.30 है0 खसरा नंबर 365 से लगती हुई का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे एवं खसरा नंबर 364/1 रकबा 0.39 है०, खसरा नंबर 366/1 रकबा 0.49 है0, खसरा नंबर 366/3 रकबा 0.32 है०, खसरा नंबर 366/4 रकबा 0.09 है० की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगाई जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग कर पर्चा लगान अलग से जारी किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावें कि वह वादग्रस्त आराजियात मे वादीगण को उसके हिस्से के उपयोग एवं उपभोग में कोई मंजाहमत या दखलात पैदा ना करें, ना ही

प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि ही करें और ना ही प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को किसी दीगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण इत्यादि ही करें। ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट वर्कमैन इत्यादि से ही ऐसा करावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के उक्त कृत्यो में किसी प्रकार का सहयोग ना करें, ना ही प्रतिवादी संख्या 3 उक्त आराजियात के सम्बंध मे राजस्व रिकार्ड में कोई तब्दील नहीं करे तथा उक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें और ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से ही करावें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी तो प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ जैन ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जो संलग्न है, जवाब दावा पेश करने उपरान्त दिनांक 13.09.2023 को राजीनामा पेश किया जो इस प्रकार है। नक्शे के अनुसार तकासमा किया जाकर इसी अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाकर इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर खातेदारी लगायी जाती है तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नक्शा एवं रिकार्ड को दुरूस्त किया जाता है तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य में समस्त विवाद समाप्त हो जायेगे। इस प्रकार से राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार दावा डिक्रि किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम लगायी जाने बाबत् आदेश निर्णय एवं डिक्रि पास करने के कृपा करें।

मुताबिक राजीनामा पक्षकारान की बहस सुनी गई तो वादी व प्रतिवादीगण के वकील ने दौराने बहस मुताबिक राजीनामा डिक्रि किया जाने में सहमति जाहिर की अतः दावा मुताबिक राजीनामा डिक्रि किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 364 रकबा 1.57 है0, 366 रकबा 3.30 है0, 365 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम रामपुराबासगोनेर तहसील चाकसू जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत नक्शे के अनुसार तकासमा किया जाकर इसी अनुसार नक्शा दुरूस्त किया जाकर इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम जमाबन्दी दुरूस्त की जाकर खातेदारी लगायी जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)